(59)

नि/निग०/रीवा/भू०रा०/2017/3227

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

सौखीलाल तनय रामसेवक ब्रा० निवासी ग्राम सिरखिनी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म०प्र०) ---------आवेदक

बनाम्

मध्यप्रदेश शासन ------अनावेदकगण

आवेदक श्री सौखीलाल ब्रा० द्वारा पेश 11.9.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध आज्ञा श्री तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म०प्र० बाबत् प्रकरण क्रमांक-205अ74/2015-16

आवेदन/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व सन् 1959ई०।

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।
2. यह कि माननीय अपर जिलाध्यक्ष रीवा के समक्ष आवेदक दिनांक 17/7/2015 की धारा 107 नियन (5) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत नक्शा की त्रुटि के सुधार का आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर अपर जिलाध्यक्ष रीवा ने तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को धारा 30 (2) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत जांच कर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से अभिमत सहित प्रतिवेदन मंगाया था जिसका अधीनस्थ तहसीलदार ने कोई नियम एवं अधिनियम के तहत प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही नही किया और मामला के अन्तिम आदेश खसरा में सुधार करने का आदेश दिया जो आदेश क्षेत्राधिकार बाह्य है, वा निरस्तगी योग्य है।
3. यह कि धारा 30 (2) का प्रावधान मामले में प्रयोज्य होता है ओर नक्शा सुधार का धारा 107(5) में तहसीलदार को अधिकार नहीं है बल्कि जिलाध्यक्ष को है किन्तु मौक का प्रतिवेदन एवं जांच अभिमत मंगाने का

नि/निग/रीवा/भू.रा0/2017/3227

न्यायालय श्रीमान

(59)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III/निग/17/3227 जिला– रीवा

सोखीलाल वग़ैरह विरूद्ध शासन (म.प्र.)

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री अमिताभ चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार/ राजस्व निरीक्षक~~, तहसील रायपुर कर्चु. के प्रकरण क्रमांक 205/A74/15-16 में पारित आदेश दिनांक 18-8-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	